

**कार्यालय अधिकासी अभियन्ता
रामगंगा बांध खण्ड, कालागढ़**

पत्रांक:— 1907 / रा०बा०ख० / नीलामी /

दिनांक 06—09—2017

नीलामी सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड,(रामगंगा बांध खण्ड, कालागढ़) की विज्ञप्ति संख्या 1325 / रा०बा०ख० / नीलामी / दिनांक 30—06—2017 द्वारा जारी की गई नीलामी की सूचना के अनुसार नीलामी की तिथि दिनांक 03.08.2017 को मात्र एक बोलीदाता द्वारा धरोहर राट । जमा किये जाने के कारण नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अतः पुनः दिनांक 11—10 —2017 को निम्नलिखित निश्प्रयोज्य वाहन की नीलामी **एरेक्टर हॉस्टल के मीटिंग हाल (नई कालोनी कालागढ़ में स्थित)** में दोपहर 12.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी।

क्र०सं०	नीलामी किये जाने वाले वाहन का नाम	मात्रा	धरोहर राट रु०
1	2	3	4
1—	एम्बैसडर पैट्रोल कार संख्या— यू०टी०एन० 4535 (मॉडल 1977)	एक नग	2000.00

नीलामी की मुख्य भार्ते:—

- 1— सभी बोली दाताओं को रूपया 2000.00(रूपये दो हजार मात्र) का बैक ड्राफ्ट अधि गासी अभियन्ता, रामगंगा बांध खण्ड, कालागढ़ के पक्ष में जारी करते हुए जो भारतीय स्टेट बैंक, धामपुर पर देय होगा वह नीलामी के एक घण्टे पूर्व अर्थात् 11.00 बजे तक जमा करना होगा तभी नीलामी में वह सम्मिलित हो सकता है।
- 2— बोली समाप्त होने पर अन्तिम बोली दाताओं को 25 प्रति तत कुल बोली का नकद जमा करना होगा अन्यथा उसकी धरोहर राट । को जब्त करते हुऐ क्रम । द्वितीय, तृतीय बोली दाताओं को अवसर दिया जायेगा।
- 3— किन्हीं दो बोलियों के मध्य बोली का अन्तर न्यूनतम रु० 100.00 व अधिकतम रु० 1000.00 होगा।
- 4— यदि कोई अन्य ठेकेदार जो कि किसी कारणव । नीलामी में सम्मिलित न हुआ हो और दुबारा बोली बुलवाना चाहता है तो उसे अधिकतम नीलामी का न्यूनतम 1.25 गुणा नकद धनराट । अधिकतम एक सप्ताह अथवा स्वीकृति से पूर्व जो भी समय कम हो जमा करना होगा। तभी उसकी दोबारा नीलामी की माँग स्वीकार की जा सकती है।
- 5— वणिज्य अथवा जी०एस०टी० अथवा अन्य कर जो भी देय हो नियमानुसार जमा करना होगा।
- 6— नीलामी की सभी भार्ते नीलामी के समय पढ़कर सुनायी जायेगी, जिनका बोली दाताओं को पालन करना होगा।
- 7— नीलाम किये जाने वाली सामग्री जिस स्थान पर जैसी भी स्थिति में है उसी स्थिति में बोलीदाता द्वारा स्वयं के खर्च से उठानी पड़ेगी, विभाग को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 7— नीलामी बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है। बोली दाताओं का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

**अधिकासी अभियन्ता
रामगंगा बांध खण्ड,
कालागढ़**